कृष्ण सिंह **बनाम** निर्मल कौर आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 44 सन 2022

तामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
29.06.2022	अधिवक्तागण उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त अवश्य है, लेकिन जमाबन्दी में हमारे ससुर/दादा के नाम से भूमि दर्ज होने के कारण हम उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवाकर अपना हिस्सा आगे बेचान करना चाहते है। नकल जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई। सामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी/प्रार्थी के द्वारा ईकरारनामा दिनांक 09.07.2021 को खरीद की गई, चक 59 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 72/25 के मुरब्बा नम्बर 5, 19,29 की 1.999 हेक्टैयर भूमि व खाता संख्या 70/1 के मुरब्बा नम्बर 5,29, की 1.037 हेक्टैयर भूमि, दोनो खातो की कुल 3.036 हेक्टैयर भूमि के संबध में अप्रार्थीगण के विरूद्व ताफैसला वाद स्थायी निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया गया है। लिहाजा प्रार्थी के द्वारा जरिए ईकरारनामा दिनांक 09.07.2021 को उक्त भूमि खरीद किए जाने के कथन किए गए है। ईकरारनामा के संबध में वाद/स्थगन प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार, सिविल न्यायालय का है, राजस्व न्यायालय का नहीं। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर